

अध्याय-III


सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन

सिंचाई परियोजनाएं अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक परियोजनाएं हैं और इसमें न केवल वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से बल्कि कार्य निष्पादन, संधारण योजना और निगरानी प्रणाली की तकनीकी के सम्बंध में भी भारी निवेश सम्मिलित है। परियोजना की आयोजना विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है जिनमें अपेक्षित परिणाम, सम्बद्ध हितधारक, परियोजना की भौगोलिक स्थिति आदि शामिल है

सभी सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता में वृद्धि एक समान उद्देश्य था, जबकि आयोजना में विभिन्न अन्य उप उद्देश्य शामिल थे। कुछ परियोजनाओं की आयोजना में गांवों और शहरों में पेयजल आपूर्ति का भी प्रावधान था। चयनित परियोजनाओं में से नर्मदा, ल्हासी, पिपलाद, राजगढ़, दो नदी, भैंसा सिंह और गुलेण्डी परियोजनाएं सिंचाई और पेयजल दोनों प्रयोजनों के लिए निष्पादित की गई थी। शेष परियोजनाएं अर्थात् आकोली, घाट पिक अप वियर, किशनपुरा, मामतूरी और रोहिणी परियोजनाएं केवल सिंचाई के उद्देश्य हेतु विकसित की गई थी।

सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना प्रक्रिया में आमतौर पर जल संसाधन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त करना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमान¹ तैयार करना, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिये केंद्रीय जल आयोग द्वारा वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जाँच करना तथा केंद्रीय जल आयोग से परियोजना की मंजूरी के बाद राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना शामिल है। राज्य के जल संसाधन आयोजना विभाग की सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान (आईडी एंड आर) इकाई द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रवाह रेखाचित्र नीचे दिया गया है।

सिंचाई परियोजना की आयोजना प्रक्रिया को संक्षिप्त में दर्शाने वाला प्रवाह रेखाचित्र



¹ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमान में परियोजना का विस्तृत औचित्य, इससे प्रभावित क्षेत्र, निष्पादन में शामिल कदम, अनुमानित लागत और लाभ आदि शामिल हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दौरान, कृषि और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जैसे अन्य हितधारक सम्बंधित विभागों से प्रतिक्रिया/टिप्पणियां भी ली गई थी। भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण और वन जैसी वैधानिक मंजूरी लेने के बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना था। इसे केंद्रीय विभाग (जल संसाधन विभाग) द्वारा आरंभ किया जाना था।

सभी चयनित परियोजनाओं में निधियां विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत विभाग के नियमित बजट के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई थी। इसके पश्चात कार्य निष्पादन की योजना और निगरानी तंत्र की स्थापना की गई थी। परियोजना के सफल निष्पादन और परिणामों के प्रभावी वितरण के लिए परियोजना से प्रत्येक स्तर पर विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है।

3.1 परियोजनाओं की आयोजना में कमियाँ

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सर्वेक्षण, भू-वैज्ञानिक जाँच, जल विज्ञान, डिजाईन इत्यादि के आंकड़े शामिल किये जाते हैं तथा इन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को केंद्रीय जल आयोग (वृहत एवं मध्यम परियोजनाएं) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सामान्यतः लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक अनुमानों की तैयारी विभाग के स्तर पर की जाती है।

लेखा परीक्षा के दौरान, हमने आयोजना में कई मूलभूत कमियां देखा, जिनका परियोजनाओं की पूर्णता पर व्यापक प्रभाव था और इसके कारण समय और लागत में वृद्धि हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

3.1.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में कमियां

केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रस्तुत करने, मूल्यांकन और मंजूरी के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक जाँच के अधीन है। सिंचित क्षेत्र पर खण्डवार सूचना, भूजल का संयोजित उपयोग, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई से भिन्न लाभ (जैसे मछली पालन, पर्यटन इत्यादि) भी प्रत्येक परियोजना के लिए प्रदान करना आवश्यक है।

परियोजनाओं की आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिये सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण था तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसे पूरा किया जाना चाहिए था। यदि सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता है, तो यह निष्पादन के चरण में, डिजाईन में बदलाव, परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब एवं लागत में वृद्धि का कारण बन सकता है।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम, 285 प्रावधान करता है कि सभी तकनीकी और कार्यकारी विवरणों को तैयार करने के बाद और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के पूर्ण होने, कार्यकरण रेखांक/डिजाईन बन जाने पर विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किये जाने चाहिए एवं स्वीकृत किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और सर्वेक्षण करने में निम्नलिखित कमियां पाई गई:-

(i) जैसा कि पैरा 2.6 में बताया गया है कि प्रस्ताव तैयार करने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षणों के आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। इस प्रकार, मुख्य विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा में विशिष्ट कमियों को इंगित नहीं किया जा सका। तथापि, सभी चयनित परियोजनाओं में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के साथ कार्य प्रारंभ करने के बाद मर्दों की मात्रा में परिवर्तन, कार्य के क्षेत्र और संरचनात्मक अभियांत्रिकी और डिजाईन में परिवर्तन देखा। इसलिये लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण या तो आयोजित नहीं

किये गये या ठीक से नहीं किये गये, जिसके कारण चयनित परियोजनाओं की लागत में संशोधन हुआ जिसका विवरण तालिका 3.3 में वर्णित है।

उदाहरण के लिए नर्मदा नहर परियोजना की प्रारंभिक लागत ₹ 467.53 करोड़ (मार्च 1996) स्वीकृत थी, जिसे परियोजना में परिवर्तन के कारण संशोधित कर ₹ 3124 करोड़ कर दिया गया था अर्थात् प्रारंभिक लागत में 568 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन परियोजनाओं से मछली पालन के लाभों को ना तो निर्धारित किया गया और ना ही योजना में विचार किया गया, जबकि पिपलाद, ल्हासी और गुलेण्डी में मत्स्य पालन की क्षमता देखी गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि अगस्त 2007 में नर्मदा नहर परियोजना की लागत ₹ 1541.36 करोड़ दबाव सिंचाई तकनीक के लागू होने के कारण संशोधित की गई थी, जिससे सिंचित क्षेत्र 1.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.46 लाख हेक्टेयर हो गया था। इसके अतिरिक्त, मूल प्रस्ताव गहन सिंचाई के लिये था जिसको बदलकर व्यापक सिंचाई में बदल दिया गया। इस वजह से वृद्धि केवल ₹ 1582.64 करोड़ अर्थात् 568 प्रतिशत के स्थान पर केवल 102.68 प्रतिशत थी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रारंभिक लागत ₹ 467.53 करोड़ अनुमानित थी और बाद में परियोजना में परिवर्तन के कारण लागत में 568 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ii) ल्हासी और राजगढ़ के परियोजना प्रस्तावों में भी कमियां पाई गई जिनमें जल मार्ग/स्वत प्रणाली के प्रावधान शामिल नहीं किए गए थे, जो किसी भी सिंचाई परियोजना का आवश्यक घटक था। जल मार्ग/स्वत प्रणाली की आयोजना के अभाव के परिणामस्वरूप सम्बंधित परियोजनाओं में इन कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि राजगढ़ परियोजना में जल मार्ग निर्माण और स्वत सुधार गतिविधियां सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती थी। तथापि, तथ्य यह है कि जल मार्ग और क्षेत्र विकास गतिविधियां अभी तक निष्पादित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अभिप्रेरित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(iii) नर्मदा नहर परियोजना में यह पाया गया कि भीमगुडा वितरिका की सुराचंद माइनर का निर्माण सितम्बर 2011 में पूर्ण किया गया था। माइनर के लिए 6369.31 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सीसीए) प्रस्तावित था और सिंचित क्षेत्र में 51 डिगियों² का निर्माण किया जाना था।

मई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के दौरान, विभाग ने पाया कि 25 डिगियों द्वारा आवृत 3391.04 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र सरकारी पड़त भूमि³ के अन्तर्गत था। सिंचित क्षेत्र में पड़त भूमि सिंचाई उद्देश्यों के लिए तंत्र विकास हेतु उपयुक्त नहीं थी। परिणामस्वरूप, 25 डिगियों को सीसीए के आच्छादन से हटा दिया गया। शेष 2978.27 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में पाइपलाईन बिछाने का कार्य, पम्प सेट की स्थापना और शेष 26 डिगियों का

² जल भण्डारण तालाब ।

³ पड़त भूमि- बिना स्वेती योग्य या बंजर भूमि ।

निर्माण त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण और ड्राईंग व डिजाईन के परिणामी संशोधन के कारण 320 दिवस की देरी के साथ निष्पादित किया गया (मई 2015)।

राज्य सरकार अवगत कराया (मार्च 2021) कि 25 डिगियों का क्षेत्र या तो वन भूमि में था या लवणीय था। प्रत्युत्तर लेखापरीक्षा के तर्क को दर्शाता है कि योजना अवधि के दौरान उचित सर्वेक्षण नहीं किया और इसके कारण परियोजना में देरी हुई थी।

3.1.2 भूमि अधिग्रहण और मंजूरीयों के लिए आयोजना

इस आकार की किसी परियोजना के लिए, भूमि अधिग्रहण प्रमुख कदमों में से एक कदम है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, की धारा 4 से 11ए के अनुसार जब कभी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या संभावित आवश्यकता होगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ उस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 298 प्रावधान करता है कि जहां किसी विशेष कार्य के लिये भूमि अर्जन की जानी हो वहां भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के लिये अधिसूचना अनिवार्य रूप से प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने से पूर्व जारी की जानी चाहिये।

भूमि अधिग्रहण और विभाग के नाम जमीन हस्तांतरण में देरी के कारण बाद के स्तर पर मुकदमेबाजी हो सकती है। लेखापरीक्षा में देखे गए प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि आकोली, राजगढ़, पिपलाद, ल्हासी और नर्मदा नहर सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय (ए एण्ड एफ) स्वीकृतियाँ 1996 से 2011 के वर्षों के दौरान प्रदान की गई थी। तथापि, विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से तीन से 19 वर्षों तक भूमि अधिग्रहण को विलंबित रखा। उदाहरण के लिए पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2006 में जारी की गई थी। तथापि, भूमि अधिग्रहण के भुगतान 11 वर्षों के विलंब के बाद मई 2017 में किए गए। जिसके परिणामस्वरूप भूमि धारको को नए अधिनियम⁴ के अनुसार बढ़ी हुई दरों से भुगतान करने के कारण ₹ 33.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परिहार्य व्यय का विवरण *परिशिष्ट-II* में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने भूमि के अर्जन में विलंब के कारणों से अवगत होने का प्रयास किया, तथापि, इन कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी से सम्बंधित कोई कारण अभिलेख में भी नहीं पाया गया।

राज्य सरकार ने ल्हासी के संबंध में अवगत कराया (मार्च 2021) कि नहरों के लिए भूमि का मुआवजा दिया गया था, जो वर्ष 2017 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि

⁴ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013।

परियोजना 2007 में स्वीकृत की गई थी और परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में नहर हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रावधान था, तथापि विभाग ने 10 वर्षों बाद भूमि अधिग्रहित की।

राजगढ़ के सम्बंध में, यह अवगत कराया गया कि नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतिम पंचाट तैयार और जारी किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नया अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व भूमि मुआवजा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सितम्बर 2012 में अनुमोदित की गई थी।

नर्मदा नहर परियोजना के सम्बंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया कि नहर विशेष के लिए भूमि अधिग्रहण केवल विस्तृत सर्वेक्षण और नहर के एल-सेक्शन के अनुमोदन के पश्चात किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय में अनुमोदित दरों के अनुसार भूमि मुआवजों का भुगतान किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1996 तथा 2010 के वर्षों में अनुमोदित की गई थी और भुगतान वर्ष 2015 में किया गया था, तब तक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी हो गया, जिसके कारण परिहार्य व्यय हुआ।

आकोली के लिये यह अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण में कोई देरी नहीं की गई थी और भूमि अधिग्रहण के लिए सभी प्रक्रियात्मक कदमों को अपनाया गया था परन्तु दरों में बदलाव हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011 में अनुमोदित की गई और भुगतान 2015 में किया गया जिसके कारण परिहार्य व्यय हुआ।

(ii) **भूमि नामान्तरण का अभाव**

चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि विभाग ने बांध, नहर/वितरिकाओं/माइनर्स/सब माइनर्स निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। तथापि, विभाग के नाम भूमि का नामान्तरण सभी प्रकरणों में निष्पादित नहीं किया गया था। विभाग के नाम नामान्तरण नहीं की गई भूमि का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.1: गैर नामान्तरित भूमि

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिग्रहित भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	नामान्तरित भूमि (हेक्टेयर में)
1	नर्मदा नहर परियोजना	4830.00	शून्य
2	ल्हासी	646.96	604.57
3	पिपलाद	800.00	215
4	घाट पिक अप वियर	4.00	शून्य
5	किशनपुरा लिफ्ट	0.05	शून्य
6	दो नदी	28.53	शून्य

इस प्रकार, नामान्तरण के अभाव में विभाग ने अधिग्रहित भूमि का स्पष्ट हक प्राप्त नहीं किया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नामान्तरण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।


(iii) वन भूमि के सम्मिलित नहीं होने के सम्बंध में गलत प्रमाणीकरण

रोहिणी लघु सिंचाई परियोजना प्रारम्भ में (जुलाई 1999) वन भूमि सम्मिलित नहीं होने के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई थी। तथापि, यह पाया गया कि परियोजना में 4.32 हेक्टेयर वन भूमि थी। तत्पश्चात, विभाग ने डूब क्षेत्र में वन मंजूरी के लिये आवेदन किया (दिसंबर 2004)। वन मंजूरी दिसम्बर 2007 में प्राप्त हुई। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जुलाई 2011 में प्राप्त हुई, कार्य अंततः अक्टूबर 2013 में पूर्ण हुआ। इस प्रकार, वन भूमि की गैर भागीदारी सम्बंधी गलत प्रमाणीकरण के आधार पर परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके कारण जुलाई 1999 से वन मंजूरी प्राप्त होने तक परियोजना में देरी हुई (दिसंबर 2007)। राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि वन मंजूरी एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संशोधन में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई।

3.2 परियोजनाओं का समय लंघन

सार्वजनिक धन से सम्बंधित किसी भी परियोजना का समय से पूर्ण होना उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन और एक क्षेत्र के विकास को प्रभावित करती है। देरी न केवल अभिप्रेरित लाभार्थियों को वंचित कर सकती है अपितु इसके परिणामस्वरूप लोक निधि पर लागत भी बढ़ाती है। देरी परियोजना की जटिलता में भी वृद्धि कर सकती है, क्योंकि परियोजना मानदंड समय व्यतीत होने के साथ बदल सकते हैं। चयनित परियोजनाओं में से कोई भी निर्धारित समय अविध के भीतर पूर्ण नहीं हुई थी। यह पाया गया कि 12 परियोजनाओं में से आठ परियोजनायें तीन से 12 वर्ष तक की देरी से साथ पूर्ण हुई थी और चार परियोजनायें छः से 39 वर्ष तक उपरांत अभी तक भी पूर्ण नहीं की गई। चयनित परियोजनाओं के सम्बंध में समय लंघन नीचे दिये गये रेखाचित्र 2 में दर्शाया गया है:

रेखाचित्र 2: चयनित परियोजनाओं में समय लंघन



तालिका 3.2: 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं में समय लंघन को

दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	नियत पूर्णता	वास्तविक पूर्णता	समय लंघन (वर्षों में)	विलंब के कारण
1	नर्मदा नहर परियोजना	मार्च 1996	मार्च 2003	कार्य प्रगतिरत	17	सिविल कार्य और यांत्रिक कार्य एक साथ नहीं सौंपना।
2	ल्हासी मध्यम परियोजना	मई 2007	मई 2013	कार्य प्रगतिरत	07	भूमि अधिग्रहण में विलंब, डिजाइन में परिवर्तन, नहर का निर्माण कार्य बांध के निर्माण कार्य के साथ नहीं सौंपना।
3	पिपलाद मध्यम परियोजना	अगस्त 2006	जून 2011	दिसंबर 2018	07	भूमि अधिग्रहण में विलंब, नहर का निर्माण कार्य बांध के निर्माण कार्य के साथ नहीं सौंपना।
4	राजगढ़ मध्यम परियोजना	जून 2012	जून 2015	कार्य प्रगतिरत	05	नहर का निर्माण कार्य बांध के निर्माण कार्य के साथ नहीं सौंपना, भूमि अधिग्रहण में विलंब।
5	अकोली लघु सिंचाई क्षमता	दिसंबर 2011	मार्च 2014	सितंबर 2017	03	बांध की ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन, अतिरिक्त/ आधिक्य कार्यों की स्वीकृति में विलंब।
6	भैसा सिंह लघु सिंचाई क्षमता	अक्टूबर 1978	जनवरी 1981	कार्य प्रगतिरत	39	रीको द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं नहर का निर्माण नहीं किया जाना।
7	दो नदी लघु सिंचाई क्षमता	सितंबर 1996	मार्च 1999	जून 2010	11	संवेदक से विवाद, निधियों का अपर्याप्त आवंटन एवं वन विभाग द्वारा कार्य में बाधा।
8	घाट पिक अप लघु सिंचाई क्षमता	सितंबर 2007	मार्च 2010	अप्रैल 2014	04	ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलंब।
9	गुलेंडी लघु सिंचाई क्षमता	नवंबर 2000	दिसंबर 2004	नवंबर 2011	07	भूमि अधिग्रहण में विलंब, संवेदक से विवाद और डिजाइन में परिवर्तन।
10	किशनपुरा लिफ्ट लघु सिंचाई क्षमता	जुलाई 1999	जुलाई 2000	फरवरी 2012	12	ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलंब, सिविल कार्य और यांत्रिक कार्य एक साथ नहीं सौंपना।
11	मामतोरी लघु सिंचाई क्षमता	अगस्त 2008	मार्च 2011	फरवरी 2019	08	कार्य प्रारंभ करने में विलंब, वन विभाग से विवाद
12	रोहिणी लघु सिंचाई क्षमता	जुलाई 1999	मार्च 2003	अक्टूबर 2013	10	वन मंजूरी में देरी

पूर्णता में देरी और परिणामस्वरूप अधिक समय लगने या समय लंघन के मुख्य कारणों जिनमें नियोजन में कमियां सम्मिलित थी जैसे कि बांध की डिजाईन को अंतिम रूप दिये जाने में देरी, बांध कार्य के साथ-साथ नहर कार्य आवंटित नहीं करना, सिविल और यांत्रिक कार्य के बीच समन्वय का अभाव इत्यादि। कुछ प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र समय पर सृजित नहीं किया जा सका। संवेदकों के साथ विवाद और अपर्याप्त निधि आवंटन भी देखा गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा के दौरान भैसा सिंह सिंचाई परियोजना का प्रकरण हमारे सामने आया जहां परियोजना को 42 वर्षों तक निरन्तर निष्पादित किया जाता रहा और फिर भी कोई परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण नीचे प्रकरण अध्ययन में दिया गया है:

प्रकरण अध्ययन-भैसा सिंह सिंचाई परियोजना

आबूरोड तहसील में ग्राम भैसा सिंह के निकट सिंचाई उद्देश्य के लिये 216 एमसीएफटी जल संग्रहण क्षमता के साथ एक बांध के निर्माण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत ₹ 0.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी (1978) की गई थी। परियोजना 350 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के उद्देश्य के पेयजल के प्रावधान के साथ क्रियान्वित की गई थी।

बांध निर्माण के लिये अनुबंध वर्ष 1978-79 में निष्पादित किया गया था। कार्य वर्ष 1981 में पूर्ण किया जाना था। तथापि संवेदक द्वारा वर्ष 1979-80 में संवेदक और विभाग के बीच विवाद होने के कारण कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया था। बाद में कुल सिंचित क्षेत्र 2,095 एकड़ में से 931 एकड़ भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम (रीको) द्वारा अधिग्रहित करने और आबू रोड कस्बे के लिये पेयजल का अतिरिक्त प्रावधान करने के कारण ₹ 8.23 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई थी (2001)। डूब के तहत वन भूमि का एक हिस्सा आ रहा था, तथापि कार्य वर्ष 2002 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी के बिना प्रारंभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2003 में कार्य को निलंबित किया गया। अंततः सरकार ने पर्यावरण मंजूरी हेतु आवेदन (फरवरी 2006) किया और दिसम्बर 2008 में वह प्राप्त हुई। तब तक, बांध की हाइड्रोलॉजी डब्ल्यूआरडी द्वारा संशोधित की गई और राज्य सरकार द्वारा ₹ 18.18 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदित (दिसम्बर 2010) की गई।

जून 2014 में ₹ 15.12 करोड़ की लागत से बांध पूर्ण किया गया। लगभग 45 प्रतिशत भूमि को रीको द्वारा अधिग्रहित करने से सिंचित क्षेत्र में कमी तथा नहरों का निर्माण नहीं करने से बांध से सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। बांध पूर्ण होने के दो वर्ष बाद, आबू रोड कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को पीएचइडी को सौंपने का निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2016)। तथापि, मार्च 2020 तक आबू रोड कस्बे को जलापूर्ति प्रारंभ नहीं की गई थी। पृष्ठताछ पर कार्यकारी एजेंसी राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि जल आपूर्ति एवं वितरण तंत्र के उन्नयन का कार्यादेश जारी कर दिया गया है तथा वर्ष 2024 में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। इस प्रकार, न तो सिंचाई सुविधा और ना ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी (मार्च 2020), जबकि कार्य 42 वर्ष पूर्व

प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार चार दशकों से ज्यादा समय तक विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों के साथ ₹ 15.12 करोड़ निवेश शून्य हो गया और इच्छित परिणाम आदिनांक तक प्राप्त नहीं किए जा सके। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।



भैसा सिंह सिंचाई परियोजना बांध

3.3 लागत लंघन

सार्वजनिक धन से जुड़ी किसी भी बड़ी परियोजना के लिए व्यय को बजट प्रावधानों के अंदर सीमित रखना परियोजना प्रबंधन की बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक जटिल सिंचाई परियोजना में योजना में अपर्याप्तता या निष्पादन में अक्षमता से लागतों में कई गुना वृद्धि हो सकती है और जिससे परियोजना के पूर्ण होने में एक बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इन सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना लागत का अनुमान लगाया गया था और तदनुसार विभागीय बजट में वार्षिक आधार पर धन राशि प्रदान की गई थी। चयनित परियोजनाओं में परियोजना लागत का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका-3.3: परियोजनाओं की लागत का विवरण

(₹ करोड़ में)

परियोजना	मूल स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि (प्रतिशत में)	वस्तुस्थिति
नर्मदा नहर परियोजना	467.53	3124	2969.74	568	अपूर्ण
ल्हासी	44.73	204.23	215.38	357	अतिरिक्त व्यय के बावजूद अपूर्ण
पिपलाद	33.64	91.21	76.49	127	पूर्ण

परियोजना	मूल स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि (प्रतिशत में)	वस्तुस्थिति
राजगढ़	192.13	386.82	429.78	101	अतिरिक्त व्यय के बावजूद अपूर्ण
आकोली	8.84	21.81	13.13	48	पूर्ण
भैसा सिंह	0.50	18.18	15.12	3536	अपूर्ण, पीएचईडी को हस्तान्तरित
दो नदी	4.91	9.09	9.10	85	पूर्ण
घाट पिक अप वियर	3.10	15.03	9.91	220	पूर्ण
गुलेण्डी	13.46	30.21	26.62	98	पूर्ण
किशनपुरा	3.44	7.20	5.50	60	पूर्ण
मामतोरी	0.93	1.14	0.95	2	पूर्ण
रोहिणी	2.43	9.53	6.36	162	पूर्ण

* उन मामलों में जहाँ परियोजना पूर्ण हो चुकी है, लागत वृद्धि के प्रतिशत की गणना वास्तविक व्यय के आधार पर की गई है। अन्य मामलों में जहाँ परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, लागत वृद्धि प्रतिशत की गणना संशोधित स्वीकृति के आधार पर की गई है।

तालिका से स्पष्ट है कि सभी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण लागत लंघन हुआ। परियोजना लागत लंघन को नीचे रेखाचित्र 3 में दर्शाया गया है:

रेखाचित्र 3: चयनित परियोजनाओं की लागत लंघन का प्रतिशत



लागत में वृद्धि योजना में कमियों की सूचक है, जैसे कि सिविल व यांत्रिक कार्यो का एक साथ आवंटन नही करना, वन भूमि की स्वीकृति, समय पर भूमि अधिग्रहण इत्यादि और व्यवसायिक परियोजना प्रबंधन का अभाव।

राजगढ़ जिसके बारे में बताया गया कि जनवरी 2020 तक कुल व्यय ₹ 393.52 करोड़ था, को छोड़कर राज्य सरकार ने सभी परियोजनाओं में तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)। प्रतिउत्तर में बताया गया कुल व्यय तथ्यात्मक नहीं था, क्योंकि वास्तव में स्पण्ड के मासिक लेखों के अनुसार ₹ 429.78 करोड़ का व्यय किया गया था।

3.4 अलाभकारी परियोजनाओं का निर्माण

(अ) आकोली एमसिंचाई क्षमता

जलग्रहण क्षेत्र और बहाव/प्रवाह के अनुसार, जालौर में वर्ष 2017, 2018 व 2019 में क्रमशः हुई बारिश 956 एमएम, 211 एमएम और 594 एमएम पर क्रमशः 27.583 एमसीयूएम, 0.591 एमसीयूएम और 9.401 एमसीयूएम जल की आवक बांध में होनी चाहिए थी। यद्यपि, वर्ष 2017 में चार महीन के लिये पूर्ण भराव क्षमता (1.72 एमसीयूएम) तक जल की आवक हुई और इसके बाद वर्ष 2018 व 2019 के दौरान जल की आवक नहीं हुई। नव निर्मित परियोजना में अच्छी वर्षा के बावजूद जल की आवक न होना/कम होना परियोजना निर्माण से पूर्व अपर्याप्त सर्वेक्षण को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने बताया कि 2018 और 2019 के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र में प्राप्त वर्षा कम थी और स्थल का चयन निर्विवाद है, क्योंकि 2017 में 1.6 मीटर बहाव लिफ्ट बांध में भारी प्रवाह को दर्शाता है। सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2019 के दौरान 330.75 एमएम जो पूर्ण भंडारण क्षमता प्राप्त करने के लिये अनुमानित थी के मुकाबले 594 एमएम वर्षा प्राप्त हुई, और तब भी कोई जल प्राप्त नहीं हुआ।

(ब) घाट पिक अप वियर लघु सिंचाई क्षमता

484.50 एमएम बारिश पर 64.577 एमसीयूएम पानी की अनुमानित आवक के आधार पर परियोजना का निर्माण किया गया। यद्यपि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 353 एमएम से 734 एमएम⁵ वर्षा के बावजूद, वर्ष 2016 में जल की कुछ मात्रा को छोड़कर जल की कोई आवक नहीं हुई। इस प्रकार, परियोजना निर्माण से पूर्व समुचित सर्वेक्षण व जाँच नहीं की गई थी।

राज्य सरकार अवगत कराया (सितंबर 2020) कि जलग्रहण क्षेत्र में कम साधन व छितरी हुई वर्षा के कारण प्रवाह उत्पन्न नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 484.50 एमएम वार्षिक वर्षा के आधार पर जल आवक की गणना की गई थी, जबकि 2014 से 2019 की अवधि के दौरान 353 एमएम से 734 एमएम के बीच वर्षा हुई, जो कि पिक अप वियर के भराव के लिए पर्याप्त थी।

(स) मामतोरी लघु सिंचाई क्षमता

2013 से 2019 के दौरान हुई वर्षा के अनुसार बांध में 0.11 एमसीयूएम से 2.85 एमसीयूएम पानी की आवक होनी थी। यद्यपि इन वर्षों में पानी की आवक नहीं हुई। बांध में पानी की आवक

⁵ 430.5 एमएम (2014), 513 एमएम (2015), 734.5 एमएम (2016), 391 एमएम (2017), 353.5 एमएम (2018) एवं 548 एमएम (2019)।

ना होना यह दर्शाता है कि बांध की हाईड्रोलॉजी बिना उचित सर्वेक्षण और जाँच के निर्धारित की गई थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.5 निष्पादन

अभिप्रेत लाभार्थियों को सिंचाई व पीने हेतु जल की उपलब्धता परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी परिकल्पित लाभों का केंद्रीय उद्देश्य है। इसलिये योजना व जल के वितरण का अधिकतम एवं सतत् उपयोग प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना था।

प्रभावी जल प्रबंधन में अभिप्रेत उद्देश्य के लिये परिकल्पित सिंचाई क्षमता का सृजन योजनानुसार जल की निकासी, लाभार्थियों को पीने के जल का प्रावधान और किसानों के लिये परिवर्तित फसल पद्धति की सुगमता हेतु वर्ष भर जल उपलब्ध कराना शामिल है।

3.5.1 अब तक सृजित सिंचाई क्षमता

किसी सिंचाई परियोजना का मुख्य ध्येय परिकल्पित सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग है। सृजित सिंचाई क्षमता वह कुल क्षेत्र है जिसे एक परियोजना से उसके पूर्ण विकसित होने पर सिंचित किया जा सकता है और विचाराधीन अवधि के दौरान परियोजना में उपयोग की गई सिंचाई क्षमता ही वास्तविक सिंचित क्षेत्र है।

प्रत्येक परियोजना में सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। परियोजना के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इन लक्ष्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण थी। चयनित परियोजनाओं के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य, सृजित एवं किसानों द्वारा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता की स्थिति विस्तार से तालिका 3.4 में दी गई है।

तालिका-3.4: सिंचाई क्षमता लक्षित, सृजित और परियोजना का उपयोग

परियोजना का नाम (अ)	सिंचाई क्षमता लक्ष्य (हेक्टेयर) (ब)	सिंचाई क्षमता सृजन (हेक्टेयर) (स)	सिंचाई क्षमता सृजन में अन्तर (प्रतिशत) (द)	सिंचाई क्षमता उपयोग ⁶ (य)	सिंचाई क्षमता उपयोग में अन्तर (र)	सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध उपयोग का प्रतिशत (ल)
नर्मदा नहर परियोजना	1.51 लाख	1.51 लाख	0	1.03 लाख	0.48 लाख	68.21
ल्हासी	2609	1800	31	0	1800	0
पिपलाद	3549	3549	0	81	3468	2.28
राजगढ़	8568	0	100	0	0	अनुपलब्ध
आकोली	458	458	0	0	458	0
भैसा सिंह	350	0	100	0	0	अनुपलब्ध

⁶ राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार।


परियोजना का नाम (अ)	सिंचाई क्षमता लक्ष्य (हेक्टेयर) (ब)	सिंचाई क्षमता सृजन (हेक्टेयर) (स)	सिंचाई क्षमता सृजन में अन्तर (प्रतिशत) (द)	सिंचाई क्षमता उपयोग ⁶ (य)	सिंचाई क्षमता उपयोग में अन्तर (र)	सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध उपयोग का प्रतिशत (ल)
दो नदी	547.12	547.12	0	30.73	516.39	5.62
घाट पिक अप वियर (बहाव से सिंचाई हेतु)	0	0	अनुपलब्ध	0	0	अनुपलब्ध
गुलेण्डी	2535	2535	0	239.25	2295.75	9.44
किशनपुरा लिफ्ट	1455	1455	0	776	679	53.33
मामतोरी	64	0	100	0	0	अनुपलब्ध
रोहिणी	365.94	365.94	0	0	365.94	0

स्रोत: जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चार परियोजनाओं में कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका और केवल सात परियोजनाएं ही लक्षित सिंचाई क्षमता का पूर्ण सृजन कर सकीं। सिंचाई क्षमता के उपयोग के सम्बंध में, तीन परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि अन्य परियोजनाओं में उपयोग 2.28 प्रतिशत से 68.21 प्रतिशत के बीच रहा।

सिंचाई क्षमता सृजन से सम्बंधित कारणों और मुद्दों का परियोजनावार विश्लेषण इस प्रकार है:

(i) **नर्मदा नहर परियोजना:** नर्मदा नहर परियोजना में नहर, डिगियों के निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना से सम्बंधित सभी सिविल⁷ एवं यांत्रिक⁸ कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र को कृषि योग्य सिंचित (कमांड क्षेत्र)⁹ माना जाना था।



कुल सिंचाई क्षमता 1.51 लाख हेक्टेयर (स्वरीफ 0.48 लाख हेक्टेयर + रबी 1.03 लाख हेक्टेयर) के मुकाबले 1.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का रबी मौसम में उपयोग किया जा सकता था जबकि स्वरीफ मौसम में पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया। कुल 2,231 डिगियों के

⁷ डिगियों, पम्प रूम, सेपवैल, बाउण्ड्रीवाल आदि का निर्माण।

⁸ पाइपलाइन की सप्लाई, लेईंग, जोइंटिंग, टेस्टिंग व कमीशनिंग ओर मोनोब्लॉक पम्प का स्थापना।

⁹ क्षेत्र जो एक योजना से सिंचित किया जा सकता है और कृषि के लिए उपयुक्त है।

विरुद्ध, सितंबर 2020 तक केवल 2032 डिगियों का विद्युतीकरण किया गया था। इस प्रकार, रबी के लिए जैसा विभाग द्वारा दावा किया गया है कि 1.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग पूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि सितंबर 2020 तक 199 डिगियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि रबी एवं खरीफ मौसम में सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया है। यह उस वर्ष की वर्षा की स्थिति और कृषकों द्वारा रबी मौसम में उपयोग की गई सिंचाई की तीव्रता पर निर्भर करता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डिगियों का विद्युतीकरण नहीं होने से रबी के लिये सिंचाई क्षमता 1.03 लाख हेक्टेयर का पूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता है जो कि परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित था। इसके अलावा, खरीफ में सिंचाई क्षमता के उपयोग से सम्बंधित कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(ii) **ल्हासी परियोजना:** ल्हासी परियोजना में वर्ष 2013-14 तक 2,609 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित था। तथापि, फरवरी 2021 तक केवल 1,800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका। जिसका मुख्य कारण बांध कार्य के साथ ही नहरीकरण कार्य का आवंटन नहीं किया जाना व भूमि अधिग्रहण में देरी था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

(iii) **राजगढ़ परियोजना:** विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2011) के अनुसार, परियोजना 2015 में पूर्ण की जानी थी। तथापि, परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। राजगढ़ परियोजना में वांछित सिंचाई क्षमता¹⁰ प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में चार वर्ष की असाधारण देरी के कारण बांध व नहरी तंत्र का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। भूमि आखिरकार 2015 में अधिग्रहित की गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि कुल सिंचाई क्षमता 8,568 हेक्टेयर के विरुद्ध वर्ष 2019-20 तक 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन व उपयोग किया गया। तथापि, तथ्य यह है कि परियोजना में देरी हुई और परिकल्पित सिंचाई क्षमता 8,568 हेक्टेयर आज तक प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन के सम्बंध में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(iv) **आकोली परियोजना:** आकोली परियोजना में अच्छी वर्षा के बावजूद सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजना में जल की कमी/जल की आवक नहीं होना दर्शाता है कि बांध का जल विज्ञान सही नहीं था। परियोजना के पूर्ण होने (सितंबर 2017) के बाद बांध में पानी संग्रहित नहीं हुआ था।

¹⁰ नियोजित सिंचाई क्षमता 8568 हेक्टेयर।

(v) **दो नदी परियोजना:** दो नदी परियोजना में 547.12 हेक्टर सिंचाई क्षमता के सृजन के विरुद्ध, वितरिका तंत्र के कमजोर संधारण के कारण केवल 30.73 हेक्टर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सिंचित क्षेत्र 235 हेक्टर से 379 हेक्टर के बीच था, जबकि राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह केवल 30.73 हेक्टर था। दावा किये गये सिंचाई क्षेत्र के समर्थन में विभाग द्वारा कोई दस्तावेज/आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(vi) **घाट पिक अप वियर:** बारिश के दौरान स्वरीफ फसलों के लिए बहाव सिंचाई एवं आसपास के कुओं के पुनर्भरण के उद्देश्य के साथ रूपारेल नदी के पानी के उपयोग किये जाने हेतु घाट पिक अप वियर का निर्माण (2007) किया गया। तथापि, अनुचित जलग्रहण क्षेत्र के कारण 2016 में थोड़े से जल को छोड़कर 2014 के बाद से जल की आवक नहीं हुई। इस प्रकार उपलब्धि शून्य थी।

(vii) **गुलेण्डी परियोजना:** गुलेण्डी में 2535 हेक्टर सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जाना था। तथापि, सिंचाई के लिये गैर न्यायसंगत पानी आपूर्ति के कारण केवल 239.25 हेक्टेयर यानि 9.44 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि राजस्व विभाग राजस्व गिरदावरी के पूर्ण व सही अभिलेख नहीं रख रहे थे और सिंचाई क्षमता के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हुई। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि राजस्व अभिलेखों के अनुसार केवल 239.25 हेक्टर रबी में ही सिंचित किया गया था और जल संसाधन विभाग पूर्ण सिंचाई क्षमता के लक्ष्यों की प्राप्ति की पुष्टि में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका।

(viii) **रोहिणी बांध:** रोहिणी बांध का निर्माण (2013) सेई पिक अप वियर परियोजना के लिए आरक्षित बांध के रूप में किया गया था। सेई पिक अप वियर परियोजना का निर्माण वर्ष 1960 में किया गया था। रोहिणी बांध से पानी सेई पिक अप वियर के अपस्ट्रीम में छोड़ा जाना प्रस्तावित था। इसी बीच पुराना होने और कमजोर रख-रखाव के कारण सेई पिक अप वियर का नहर तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों परियोजनाओं के मध्य समयावधि अंतर पर योजना में विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप परियोजना के 276.41 हेक्टर कमांड क्षेत्र को लाभान्वित नहीं किया जा सका और परियोजना अलाभकारी सिद्ध हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि वर्ष 2013 से सेई पिक अप वियर व इसके नहरी तंत्र के माध्यम से संग्रहित जल का उपयोग किया जाता है और रोहिणी बांध पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है (2019)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग के अनुसार कोई सिंचाई गतिविधि निष्पादित नहीं हुई। विभागीय प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण (दिसम्बर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा के द्वारा यह भी पाया गया कि बांध से कोई सिंचाई गतिविधि नहीं की गई। नहर में अवरोधक/गाद/वनस्पति और बांध में रिसाव भी पाया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



रोहिणी बांध में रिसाव

(ix) **पिपलाद परियोजना:** पिपलाद परियोजना वर्ष 2011-12 तक 3,549 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु प्रस्तावित की गई थी और पूर्ण विकसित करने में लगभग चार वर्ष लगने थे (2014-15)। लक्षित सिंचाई क्षमता 3,549 हेक्टेयर के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 1,445 हेक्टेयर (40.71 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और शेष 2,104 हेक्टेयर वर्ष 2018-19 में सृजित की गई। राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मात्र 81 हेक्टेयर (लक्षित सिंचाई क्षमता का 2.28 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई क्षमता के उपयोग के अभिलेखों का संधारण नहीं किया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि जल संसाधन विभाग राजस्व विभाग के आंकड़ों के लिए उत्तरदायी नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने सिंचाई क्षमता के उपयोग से सम्बंधित कोई आंकड़े/दस्तावेज उपलब्ध करवाये।

(x) **किशनपुरा परियोजना** में 1,455 हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता में से केवल 776 हेक्टेयर (53.33 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था, क्योंकि खरीफ में कोई पानी नहीं छोड़ा गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

(xi) **मामतोरी परियोजना:** निर्गम मार्गों व पूर्ण लंबाई के नहर निर्माण कार्य नहीं होने से मामतोरी परियोजना कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। आगे, दोषपूर्ण जल विज्ञान के कारण बांध के पूर्ण होने के बाद बांध में पानी का संग्रहण नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.5.2 जल आवंटन और निकासी

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार, स्वरीफ और/या रबी मौसम में जल की आवश्यकता को उनकी सम्बंधित परियोजना से आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था और तदनुसार परियोजना में सम्पूर्ण वर्ष सिंचाई आशान्वित थी। तथापि, निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

3.5.2.1 जल छोड़ने के आंकड़ों के संधारण का अभाव

जल छोड़ने के आंकड़े परियोजना के प्रभाव और इसके परिणामों के सफल प्रतिपादन का आंकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, यह जानकारी वृहत सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर परियोजना के लिये भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। नर्मदा नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिये अनुमानित 573.26 एमसीयूएम जल उपलब्ध था। विभाग ने जल छोड़ने की वर्षवार सूचना कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध भूजल सहित लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई। इन आंकड़ों के अभाव में अपेक्षित लाभार्थियों को जल की उपलब्धता के साथ-साथ जल छोड़ने के आदेशों की अनुपालना का आंकलन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि सिंचित क्षेत्र में छोड़े गये पानी और भूजल के आंकड़े परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार उपलब्ध थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वास्तविक आंकड़ों के अभाव में अपेक्षित लाभार्थियों को जल की उपलब्धता के साथ-साथ जल छोड़ने के आदेशों की अनुपालना का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सकता था।

3.5.2.2 जल की न्यून निकासी

पांच परियोजनाओं में सिंचाई के लिए छोड़ा गया जल, परिकल्पित और आरक्षित से बहुत कम था। इसके प्रमुख कारण नहर प्रणाली का निर्माण नहीं होना और नहरों एवं बांधों का रखरखाव न होना था।

तालिका-3.5: जल निकासी की स्थिति

परियोजना	जल निकासी की परिकल्पना/संग्रहित	जल निकासी की स्थिति
ल्हासी	सिंचाई: 10.353 एमसीयूएम पेयजल: 7.3 एमसीयूएम ताप विद्युत संयंत्र: 8.5 एमसीयूएम	मार्च 2020 तक सिंचाई के लिये जल नहीं छोड़ा गया। पेयजल के लिये 1.18 से 1.42 एमसीयूएम प्रतिवर्ष 2016-20 के दौरान उपयोग किया गया और छबड़ा ताप विद्युत संयंत्र के लिये 4.17 से 6.45 एमसीयूएम प्रतिवर्ष 2018-20 के दौरान उपयोग किया गया। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।
राजगढ़	सिंचाई: 43.43 एमसीयूएम	वर्ष 2019-20 के दौरान केवल 22.60 एमसीयूएम जल संग्रहित हुआ था। तथापि, सिंचाई के लिये कोई जल नहीं छोड़ा गया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि संग्रहित जल का उपयोग 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन में किया गया था और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की आपूर्ति की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नहर का काम पूरा नहीं

परियोजना	जल निकासी की परिकल्पना/संग्रहित	जल निकासी की स्थिति
		हुआ था और 2500 हेक्टेयर की सिंचाई के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।
आकोली	सिंचाई: 1.72 एमसीयूएम	2017 में कोई जल नहीं छोड़ा गया। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात से जल संग्रहित नहीं हुआ, यद्यपि, जलग्रहण और अपवाह में पर्याप्त वर्षा दर्ज की गई।
रोहिणी	सिंचाई: 1.93 एमसीयूएम	सिंचाई हेतु कोई जल नहीं छोड़ा गया इस तथ्य का संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सत्यापन किया गया।
मामतोरी	सिंचाई: 0.472 एमसीयूएम	सम्पूर्ण लम्बाई में निर्गम मार्गों और नहर प्रणाली के निर्माण ना होने से में कोई जल निकासी अथवा संग्रहित नहीं किया गया। राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.5.2.3 जल की अधिक निकासी

(i) पिपलाद में सिंचाई और पेय के प्रयोजन के लिए क्रमशः 14.79 एमसीयूएम और 5 एमसीयूएम जल आरक्षित था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 1445 हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता को सींचने के लिए 6.02 एमसीयूएम जल पर्याप्त था, जबकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 8.23 और 14.69 एमसीयूएम जल छोड़ा गया। इस प्रकार 2.21 और 8.67 एमसीयूएम अतिरिक्त जल छोड़ा गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पानी किसानों की मांग के अनुसार छोड़ा गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जल सिंचाई क्षमता सृजन के अनुसार छोड़ा जाना चाहिए था न कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा, उत्तर के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो यह प्रमाणित करता हो कि जल काश्तकारों से प्राप्त मांग के आधार पर छोड़ा गया था।

(ii) इसी प्रकार गुलेण्डी लघु सिंचाई परियोजना में कुल 2,535 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से काश्तकारों ने 2015 से 2019 के दौरान औसतन केवल 239.25 हेक्टेयर क्षेत्र बोया था। 239.25 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए फसलवार जल की आवश्यकता का आंकलन 0.850 एमसीयूएम किया गया था, लेकिन इस अवधि के दौरान वास्तविक वार्षिक औसतन 8.028 एमसीयूएम जल छोड़ा गया। इस प्रकार, इन वर्षों के दौरान औसतन 7.178 एमसीयूएम अधिक जल छोड़ा गया था। अतः जल भराव और लवणता में वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र 1,950 हेक्टेयर में पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों के अनुसार केवल 239.25 हेक्टेयर क्षेत्र बोया गया था और जल संसाधन विभाग ने स्वयं ना ही तो सिंचित क्षेत्र के अभिलेख संधारित किये थे और ना ही उपलब्ध करवाये थे।

3.5.2.4 अनाधिकृति रूप से जल लेना

नर्मदा नहर परियोजना में फव्वारे या बून्द-बून्द पद्धति द्वारा अनिवार्य दबाव सिंचाई को अपनाया गया था ताकि भूजल में सिंचाई के जल का रिसाव कम हो सके व भूजल स्तर में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह देखा गया कि मुख्य नहर, इसकी वितरिकाएं और लघु/उपवितरिकाएं के आसपास के किसानों द्वारा जल चोरी की समस्या थी जो मोटर पम्पों और पाईपों का उपयोग करके जल उठाते थे और इसे उस भू-भाग तक पहुंचाते थे, जो डिग्गी प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आ रहे थे। इन गतिविधियों के कारण कुछ गांवों (जैसे चिमड़ी, अगावा, भालेटी, पडारडी, मानकी, सुरावास और अरनियाली के कमाण्ड क्षेत्र और निकटवर्ती गांवों) में जल भराव और लवणता बढ़ गयी। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।



नहरों से सीधे जल लेने के कारण नर्मदा नहर परियोजना में जल का अनाधिकृत उठाव

3.5.3 पेयजल का प्रावधान

राष्ट्रीय जल नीति यह निर्धारित करती है कि जहां तक संभव हो जल संसाधन विकास परियोजनाओं को पेयजल की व्यवस्था के साथ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में नियोजित और विकसित किया जाना चाहिए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित और वास्तव में प्रदान की गई पेयजल सुविधा के बारे में परियोजनावार विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका-3.6: सिंचाई परियोजनाएं और लाभान्वित होने वाले गांवों/कस्बों की संख्या

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना से लाभ प्राप्त करने वाले गांवों/कस्बों की संख्या	योजना से वास्तव में लाभान्वित होने वाले गांवों/कस्बों की संख्या
1	नर्मदा नहर परियोजना	जालौर जिले के 874 गांव व तीन कस्बे; बाड़मेर जिले के 667 गांव	जालौर जिले के 446 गांव
2	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना	बारां जिले के 21 गांव व 2 कस्बें	बारां जिले के दो कस्बें
3	पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना	झालावाड़ जिले के 16 गांव/कस्बें	सभी गांव/कस्बों को पानी उपलब्ध करवाया गया
4	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना	पचपहार तहसील के 54 गांव और 15 अन्य आवास बस्तियां और झालरापाटन तहसील के 157 गांव और झालरापाटन कस्बा	पचपहार तहसील के 54 गांव और 15 अन्य आवास बस्तियां
5	भैसा सिंह लघु सिंचाई परियोजना	2016 में आवू रोड़ कस्बें को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये पीएचईडी को सौंप दिया गया था।	मार्च 2020 तक पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं की गई थी।
6	दो नदी लघु सिंचाई परियोजना	ऋषभदेव कस्बे व रास्ते के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये परियोजना से सोम कागदार बांध को भरना था।	सभी गांवों/कस्बों को पानी उपलब्ध करवाया गया।
7	गुलेण्डी लघु सिंचाई परियोजना	77 गांव और अकलेरा कस्बा	सभी गांवों/कस्बों को पानी उपलब्ध करवाया गया।

जाँच के दौरान पाया गया:

(i) ल्हासी में बारां जिले के दो कस्बों के लिए जलापूर्ति योजना पहले चरण में 24 माह के विलम्ब से पूरी हुई (अगस्त 2016) और द्वितीय चरण में गांवों की जलापूर्ति के लिये योजना प्रक्रिया में थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पीएचईडी द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(ii) पिपलाद में अनुमानित क्षेत्र के लिए जलापूर्ति योजना के काम में 20 माह की देरी हुई। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021) और बताया कि यह फिल्टर प्लांट की स्थल चयन में देरी के कारण था।

(iii) राजगढ़ में जलापूर्ति योजना को सात माह के विलंब से पूर्ण किया गया था। झालरापाटन तहसील और कस्बे के लिए पेयजल की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पीएचईडी द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(iv) दो नदी में बांध का काम अगस्त 2007 में पूरा हो गया था, तथापि, पीएचईडी ने दस वर्षों से अधिक की देरी से पेयजल की आपूर्ति जून 2017 में प्रारम्भ की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.6 अंश लागत, क्षतिपूर्ति की अप्राप्ति एवं मूल्य विचलन का अनुचित भुगतान

लेखापरीक्षा ने अन्य विभागों द्वारा अंश लागत के भुगतान की स्थिति, कार्य की अनुपातिक प्रगति बनाये नहीं रखने के लिये क्षतिपूर्ति का विवरण और संवेदक को मूल्य विचलन हेतु भुगतान की नमूना जाँच की।

उपरोक्त मुद्दों के सम्बंध में अवलोकित कमियों पर नीचे टिप्पणी की गई है।

3.6.1 अंश लागत की वसूली का अभाव/कम वसूली

(i) ल्हासी में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) और पीएचईडी द्वारा क्रमशः ₹ 68.75 करोड़ और ₹ 59.12 करोड़ के रूप में साझा की जाने वाली लागत पर विचार करके परियोजना के लाभ लागत अनुपात का मूल्यांकन 1:52:1 के रूप में किया गया था। तथापि, प्रशासनिक अनुमान को मंजूरी देते समय, आरवीयूएनएल और पीएचईडी द्वारा वहन की जाने वाली अंश लागत को संशोधित कर ₹ 59.40 करोड़ और ₹ 51.09 करोड़ कर दिया गया था। तदनुसार, आरवीयूएनएल ने अंश लागत राशि जमा कर दी थी। तथापि, पीएचईडी ने आज तक अंश लागत जमा नहीं की और वित्त विभाग के दृष्टिकोण के अनुसार, अब अंश लागत स्वीकृत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बांध का कार्य पूर्ण हो चुका था। पीएचईडी द्वारा अंश लागत जमा नहीं किये जाने के कारण पूंजीगत लागत इस सीमा तक अधिक हो जाती है और लाभ लागत अनुपात केवल 1:06:1 हो जाता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि आरवीयूएनएल और पीएचईडी की अंश लागत क्रमशः ₹ 68.75 करोड़ और ₹ 59.12 करोड़ थी और अंतर राशि की मांग लगातार की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरवीयूएनएल के अभिवेदन के पश्चात विभाग ने अंश लागत ₹ 59.40 करोड़ (आरवीयूएनएल) और ₹ 51.09 करोड़ (पीएचईडी) के रूप में पुनर्गणना की थी, जिसे आरवीयूएनएल द्वारा जमा किया गया था।

(ii) अन्य परियोजनाएं

चयनित सात परियोजनाओं की परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पना की गई थी कि पेयजल के उपयोग के लिए पीएचईडी द्वारा अंश लागत का हिस्सा देय था, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

अभिलेखों की जाँच से विदित हुआ कि चार परियोजनाओं में पीएचईडी द्वारा अंश राशि का भुगतान नहीं किया गया था। पीएचईडी द्वारा देय अंश राशि का विवरण तालिका संख्या 3.7 में दिया गया है।

तालिका-3.7: लागत का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पीएचईडी द्वारा भुगतान किये जाने वाला अंश	पीएचईडी द्वारा भुगतान किया गया अंश	शेष
1	नर्मदा नहर परियोजना	296.71	216.33	80.38
2	पिपलाद सिंचाई परियोजना	22.80	17.49	5.31
3	भैसा सिंह लघु सिंचाई क्षमता	15.11	-	15.11
4	गुलेण्डी लघु सिंचाई क्षमता	7.24	3.89	3.35

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) वसूली प्रक्रियाधीन थी।

3.6.2 क्षतिपूर्ति की वसूली/उदग्रहण का अभाव

अनुबंध के स्वण्ड 2 और 3(सी) के अनुसार, संवेदक यथानुपात कार्य प्रगति संधारण नहीं करने पर और मूल संवेदक के जोखिम और लागत पर अन्य संवेदक द्वारा निष्पादित शेष कार्य पर स्वर्च की गई अतिरिक्त लागत के क्षतिपूर्ति के भुगतान करने लिए उत्तरदायी है।

नर्मदा, ल्हासी, पिपलाद, घाट पिक अप वियर, किशनपुरा लिफ्ट, मामतारी, भैसा सिंह, गुलेण्डी और दो नदी परियोजनाओं के चयनित स्वण्डीय कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 10 मामलों में संवेदकों ने न तो यथानुपातिक प्रगति को बनाए रखा और न ही अतिरिक्त लागत की जिम्मेदारी ली। स्वण्ड मुआवजे की राशि ₹ 2.42 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली में असफल रहे जैसा *परिशिष्ट-III* में विस्तृत है।

राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2021) कि सात मामलों में वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, शेष तीन मामलों में राज्य सरकार ने अनुबंध के स्वण्ड 2 और 3(सी) के उल्लंघन में संवेदक से अंतिम समायोजन के रूप में कम राशि वसूल की, जो कि वसूल की जानी थी।

3.6.3 संवेदक को अदेय लाभ

राजगढ़ परियोजना के मुख्य बांध के निर्माण का कार्य संवेदक को टर्नकी आधार पर ₹ 87.04 करोड़ में क्रमशः 7 जुलाई 2013 और 6 जनवरी 2016 आरम्भ होने और समाप्त होने की निर्धारित तिथियों के साथ प्रदान किया गया था।

अनुबंध की सामान्य शर्तों के स्वण्ड 18 में कहा गया है कि एकमुश्त अनुबंध के मामले में मूल्य विचलन स्वण्ड लागू होगा, जिनमें अनुमान ₹ 100 करोड़ से अधिक है और निर्धारित अवधि 18 माह से अधिक है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की विशेष शर्तों का स्वण्ड 21.1 यह निर्धारित करता है कि संवेदक स्वामी के लिखित आदेश पर, कार्यो या उसके किसी हिस्से की प्रगति को ऐसे समय के लिये और इस तरह से निलंबित कर देगा जैसा कि स्वामी आवश्यक समझे, और इस तरह के निलंबन के दौरान स्वामी की राय में जहां तक आवश्यक हो कार्यो को उचित रूप से सुरक्षित और रक्षित करे। स्वामी के निर्देशों को लागू करने में संवेदक द्वारा किये गये काम के बाद फिर से शुरू होने के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत स्वामी द्वारा वहन और भुगतान की जाएगी।

अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि संवेदक ने अक्टूबर 2013 तक ₹ 1.69 करोड़ में कार्य निष्पादित किया और तत्पश्चात कार्य छोड़ दिया, जबकि अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि ठेकेदार निर्धारित समय पर लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बंध में विशेष ध्यान देगा। संवेदक ने सितम्बर 2014 में बिना किसी शर्त के कार्य फिर से आरंभ किया और मार्च 2020 तक कार्य प्रगति पर था।

उप शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने आदेश दिया (मई 2018) कि अनुबंध की विशेष शर्तों के स्वण्ड 21.1 के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। तथापि, मूल्य विचलन देय नहीं होने के बावजूद स्वण्ड अधिकारी ने मूल्य विचलन स्वण्ड के आधार पर ठेकेदार को ₹ 2.77 करोड़ (मई 2018) का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि संवेदक ने खंड 21.1 के अनुसार विभाग को परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के कारण होने वाली बाधाओं के बारे में सूचित किया (अक्टूबर 2013) और विभाग ने मामला सुलझने तक संवेदक को श्रमिकों एवं मशीनों की सुरक्षा के लिये काम को स्थगित करने की सलाह दी (जनवरी 2014)। मूल्य विचलन के संदर्भ में भुगतान को संवेदक के कारण अतिरिक्त लागत निकालने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका पाया गया, क्योंकि संवेदक के कारण कार्य के निलंबन के कारण संवेदक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। इस बीच, माननीय उच्च न्यायालय ने भी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया (दिसंबर 2013) जिसे मई 2016 में रद्द किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कई बार¹¹ विभाग ने स्वयं फर्म को सूचित किया कि विभाग ने सलाह दी है लेकिन उसने कभी भी फर्म को कार्य बंद करने का निर्देश नहीं दिया। एक "ईपीसी एकल जिम्मेदारी अनुबंध" होने के नाते फर्म बाधा को सुलझाने के लिए उत्तरदायी थी। चूंकि 60 प्रतिशत क्षेत्र सरकारी भूमि और बाधा मुक्त थी, विभाग चाहता था कि कार्य जारी रखा जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष मामला एक विशिष्ट क्षेत्र (किसानों की भूमि) के लिए था। अतः खण्ड 21.1 के अंतर्गत किया गया अतिरिक्त भुगतान अनियमित था।

3.7 निष्कर्षों का सारांश

लेखापरीक्षा ने देखा कि सिंचाई परियोजनाओं के प्रदेशों को उद्देश्यों के अनुसार नियोजित, निष्पादित और प्रबंधित नहीं किया गया था। इच्छित परिणामों की उपलब्धि कई मुद्दों से प्रभावित थी। लेखापरीक्षा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को बनाने में एवं सर्वेक्षण कार्य में कमियां पाई जो दर्शाता है कि प्रारंभिक योजना उचित नहीं थी। भूमि के अधिग्रहण व वन मंजूरी में देरी, परियोजनाओं के समय एवं लागत में वृद्धि, अलाभकारी परियोजनाओं का निर्माण, आंकड़ों/अभिलेखों का रखरखाव न करना और संवेदकों को अनुचित लाभ जैसे मामले थे। इन सभी का परियोजनाओं के समय पर निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। चार परियोजनाएं कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं कर सकीं। तीन परियोजनाएं सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं कर सकीं जबकि अन्य परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग 2.28 से 68.21 प्रतिशत के मध्य था।

3.8 सिफारिशें

- विभाग को मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित करने चाहिए। इच्छित परिणाम और उन्हें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व योजना स्तर पर स्पष्ट रूप से साँपा जाना चाहिए।
- विभाग को जल छोड़ने के आंकड़ों का रखरखाव, जल को अधिक छोड़ने की निगरानी और जल की चोरी को रोकने के लिये पर्याप्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

¹¹ जुलाई 2014, अगस्त 2014 एवं सितंबर 2014 ।